11-5-2018 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प चूली पर पेश हुई। पक्षकारों ने राजीनामा इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि खसरा नं० $\frac{341}{0.49}$ ग्राम चूली का सीमाज्ञान तहसीलदार के नेतृत्व में पटवारी हल्का व गिरदावर की टीम मौके पर जाकर करेंगे व सीमा चिन्हों से पक्षकारान को अवगत करायेंगे। यदि वादी की भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जाता है तो प्रतिवादीगण भूमि से कब्जा हटा लेंगे। यदि प्रतिवादीगण की भूमि पर वादी का कब्जा पाया जाता है तो वादीगण कब्जा हटा लेंगे। किसी कारणवश दोनों पक्ष कब्जा नहीं हटाते हैं तो दोनों पक्षों को नया दावा पेश करने की छूट के आधार पर उक्त दावे का निस्तारण कर दिया जावे। प्रतिवादी नं० 2 की ओर से प्रतिवादी नं० 1 व वादी नं० 2 की ओर से वादी नं० 1 जिम्मेदारी लेता है।

पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता है एवं राजीनामे के आधार पर भूमि की नाप हेतु तहसीलदार गंगापुर के नेतृत्व में टीम का गठन कर पक्षकारों को भूमि ख०नं० $\frac{341}{0.49}$ ग्राम चूली का सीमाज्ञान कराने का आदेश दिया जाता है तथा सीमाज्ञान से संतुष्ट नहीं होने पर दोनों पक्षों को नवीन दावा पेश करने की छूट के साथ वादीगण का यह दावा निर्णित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रवि कुमार शर्मा) एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(सतीश कुमार शर्मा) एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(बाबूलाल जाट)
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापुर सिटी
एवं
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

जगदीश
कोहली

टी

....

...........सन्.........

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जारी

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) चूली

पीठासीन अधिकारी–: बाबूलाल जाट, आर.ए.एस.

उनवान

जगदीश पुत्र पांच्या, गुर्जर निवासी छार्रा तह0 गंगापुर सिटी

...लेश पुत्र पांच्या, गुर्जर निवासी छार्रा तह0 गंगापुर सिटी ––वादीगण

बनाम

कान्जी पुत्र स्योराम गुर्जर निवासी छार्रा तह0 गंगापुर सिटी

...मोले पुत्र कान्जी गुर्जर निवासी छार्रा तह0 गंगापुर सिटी ––प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 09/2017

वादीगण की ओर से वादी जगदीश एवं प्रतिवादीगण की ओर से कान्जी की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 11.5.2018 को बाबूलाल जाट (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार तहसीलदार गंगापुर सिटी को आदेशित किया जाता है कि वे अपनी अध्यक्षता मे एक टीम का गठन करे जिसमे हल्का गिरदावर व हल्का पटवारी होवे। उक्त टीम भूमि ख0न0 341 रकबा 49 एयर, ग्राम चूली की मौके पर नाप कर एक माह मे पक्षकारो को भूमि का सीमाज्ञान करा कर सीमाचिन्हो से अवगत करा देवे तथा सीमाज्ञान रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवावे। पक्षकारान एक दूसरे की भूमि पर कब्जा होने व कब्जा नही छोडने की स्थिति मे वादीगण को नया दावा पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 11.5.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

बाबूलाल जाट
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वादपत्र के लिए स्टाम्प शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प ________रूपये पर प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

प्रपत्र–4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुरसिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– चूली

राजीनामा प्रपत्र

श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय, दिनांक 11/5/18

कैम्प – चूली
जगदीश वगैरह बनाम कालूराम वगैरह
प्रकरण संख्या – 9/17 अन्तर्गत धारा 188 R.T. Act

उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी / वादी श्री जगदीश व प्रतिवादी कालूराम

निवेदन है कि उक्त उन्वान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो चुकी है एवं हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।

अतः हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :– इस प्रकरण में लोक अदालत [illegible]

अतः निवेदन है कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

[illegible]

आदेश

वादी पक्ष 1. .... प्रतिवादी पक्ष 1. कालूराम
2. .... 2. ....
3. .... 3. ....
4. .... 4. ....

प्रतिवादी नं. 2 की अंगूठा
प्रतिवादी नं. 1 निशानी [illegible]
वादी नं. 2 की [illegible]
वादी नं. 1 निशानी [illegible]

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर .... पहचानकर्ता के हस्ताक्षर ....
नाम .... (प्रतिवादी पक्ष) नाम ....

प्रधानाचार्य पदेन पीईईओ रा.उ.मा.वि. चूली

प्रार्थी / वादी जगदीश .... एवं अप्रार्थी / प्रतिवादी कालूराम

द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामें की इबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया। अतः राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य)

सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(सतीश कुमार शर्मा)
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(बाबूलाल जाट)
पीठासीन अधिकारी
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापुर सिटी
एवं
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी